ऑन लाईन नं. RCMS2012/00033

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0
प्रकरण सं0 05/2012
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1. हुक्म सिंह वल्द रणजीत सिंह जाति राजपूत साकिन मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

1. कालुराम वल्द रूप सिंह जाति राजपूत साकिन मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश , अधिवक्ता प्रार्थी
श्री ईशर सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: **आदेश** :: **दिनांक : 06.05.2026**

प्रस्तुत शिकायत का सार है :–

1. यह कि सायल गांव मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का पुराना निवासी काश्तकार पेशा व भूमिहीन किसान है। रकबा चक 7 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 10 वा 18 ता 24 का कुल 7 बीघा 13 बीघा सायल के कब्जा काश्त में पुराना चला आ रहा है व इसकी बाबत तावान भी उसे लगाया गया है। इस रकबा को अलाट करवाने की दरखास्त पेश की थी मगर मेरी दरखास्त के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया।

यह कि उपरोक्त रकबा को गैरसायल ने गलत बयानी करके उप जिलाधीश श्रीगंगानगर से दिनांक 04.07.1981 को अलाट करवा लिया है जो कि निम्नलिखित तथ्यों को छुपाकर गलत बयानी करके अलाट करवाया गया है। अतः अलामैन्ट निरस्त करने योग्य है

(क) यह कि गैरसायल काश्तकार पेश नहीं है। वह नौकरी करता है इसलिये रकबा पाने का पात्र नहीं है।

(ख) यह कि गैरसायल राजस्थान का सन् 1955 से पूर्व का निवासी नहीं है वह पहले पंजाब में रहता था बाद में सीकर में रहा व अब भी नौकरी करता है, इस तरह से उसने गलत बयानी करके व असल तथ्यों को छुपाकर रकबा अलाट करवाया है।

3. यह कि इस तरह से गैरसायल ने असल तथ्यों को छुपाकर साजबाज करके गलत रिपोर्ट करवाकर रकबा जैर बहस अलाट करवाया है। अतः उसकी अलामेन्ट खारिज होने योग्य है।
4. यह कि इस तरह से धारा 11 की अवहेलना हुई है व धारा 14 में रकबा बहक सरकार करने व अलाटमेन्ट निरस्त करने योग्य है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

लिहाजा दरखास्त पेश करके अर्ज है कि गैरसायल का अलाटमेंट रकबा चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 10 व किला नम्बर 18 ता 24 का कुल 7 बीघा 13 बिस्वा रकबा निरस्त कर बहक सरकार करने व सायल को अलाट करने का आदेश दिया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये एवं रिकॉर्ड व रिपोर्ट तलब की गई।

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच कर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट कमांकः–टीआरए 675 दिनांक 14.03.1984 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की हैः–

श्रीमान उपजिलाधीश के आदेश दिनांक 04.07.1981 द्वारा श्री कालूराम पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत साकिन मदेरा को चक 7 डी बड़ी , मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 17 की 0.123, किला नम्बर 18 ता 24 कुल 7 बीघा 13 बिस्वा नहरी रकबा अलाट हुआ था। अलौटी द्वारा मुताबिक रिकॉर्ड एक भी किश्त जमा नहीं करवाई है। उपरोक्त रकबा पर कालूराम पुत्र रूप सिंह काबिज है और पटवारी हल्का कि रिपोर्ट मुताबिक हल्का हाजा में और रकबा नहीं है और ना ही परिवार के सदस्य के नाम से रकबा है एवं पूर्व में रकबा का बेचान नहीं हुआ है।

पत्रावली पर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांक 1064 दिनांक 27.04. 1984 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की हैः–

1. विवादस्पद भूमि की आवंटन तिथि उप जिलाधीश महोदय के आदेश कमांक 1525 दिनांक 04.07.1981 है।
2. आवंटन के समय भूमि कि किश्म नहरी है।
3. अलोटी कालूराम पुत्र रूप सिंह राजपूत को चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 10 व 18 ता 24 कुल 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि आवंटन हुई है।
4. आवंटी के नाम इस आवंटन के पूर्व उसके परिवार के सदस्य के नाम कोई भूमि अलाट नहीं थी।
5. उपरोक्त रकबा आवंटी श्रीकालूराम पुत्र रूप सिंह के कब्जाकाश्त में है।
6. राजस्थान का पुराना वासिंदा है।
7. इस भूमि के आवंटन से पूर्व अप्रार्थी का पेशा खेती था वह दूसरे की जमीन हिस्से ठेके पर लेता था।
8. अलाटी द्वारा अभी तक बरूये रिकॉर्ड व बयान खुद बयान द्वारा एक ही किश्त अभी तक जमा नही करवाई है।

पत्रावली पर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट जो उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर पत्र कमांक 2582 दिनांक 26.12.1992 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की हैः–

1. प्रार्थी ग्राम मदेरा में आबाद नहीं है। कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए है।
2. यह गलत है कि अप्रार्थी की चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 38 का किला नमबर 17 की 0.13 व किला नम्बर 18 ता 24 सालम कुल 7.13 बिस्वा भूमि नहरी रकबा श्रीमान उपजिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर द्वारा सेल आर्डर कमांक 1525 दिनांक 04.07.1987 द्वारा आवंटन किया है। सेल ऑडर की प्रतिलिपि सलंग्न है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

3. बयान वारिसान व भूतपूर्व सरपंच से स्पष्ट है कि गैरसायल व काश्तकार पेश है व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन की परिभाषा में आने पर श्री राम लुभाया जी पूर्व उपजिलाधीश महोदय द्वारा आवंटन किया गया था।
4. यह भी गलत है कि गैरसायल का बयपन तहसील नोखा में व्यतीत हुआ है व 35 वर्ष से ग्राम मदेरा में आबाद है। अतः राजस्थान का निवासी है। नकल वोट लिस्ट 1971 सलंग्न है व बयान सरपंच व गैरसायल शामिल है। सायल अनपढ है। अतः नौकरी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। खेती मजदूरी करता है।
5. गैरसायल द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। आवंटन की पात्रता सम्बन्धी तथ्य मूल पत्रावली में ही स्पष्ट हो सकते है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया हैं कि विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी कालुराम वल्द रूप सिंह जाति राजपूत साकिन मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को उप जिलाधीश श्रीगंगानगर के सेल आर्डर क्रमांक 1525 दिनांक 04.07.1987 द्वारा चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 38 का किला नम्बर 17 की 0.13 व किला नम्बर 18 ता 24 सालम कुल 7.13 बिस्वा भूमि नहरी अलाट हुई है। शिकायतकर्ता का यह कथन कि अप्रार्थी कालुराम वल्द रूप सिंह पूर्व में पंजाब का निवासी था बाद में सीकर चला गया व राजस्थान का सन् 1955 से पूर्व का निवासी नहीं है एवं सरकारी नौकरी करता है जो सत्य नही है क्योंकि तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 2582 दिनांक 26.12.1992 से स्पष्ट रूप से अवगत करवाया है। कि अप्रार्थी कालूराम पुत्र रूप सिंह का पेशा खेती है वह एक अनपढ व्यक्ति है। उपजिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 38 का किला नमबर 17 की 0.13 व किला नम्बर 18 ता 24 सालम कुल 7.13 विस्वा भूमि नहरी जो आवंटन की गई उसके अलावा उसके पास कोई भूमि नहीं है। आवंटन शुदा भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। इसलिए प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत निराधार होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी वहस में कथन किया प्रार्थी गांव मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का पुराना निवासी , पेशा काश्तकार व भूमिहीन किसान है। चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 10 वा 18 ता 24 का कुल 7 बीघा 13 बीघा भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में पुरानी चला आ रही है व इसके बाबत तावान भी उसे लगाया गया है। इस रकवा को अलामेन्ट करवाने का प्रार्थना पत्र मुझ प्रार्थी द्वारा पेश किया गया था मगर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया। उक्त विवादित रकवा को अप्रार्थी कालूराम पुत्र रूप सिंह ने तथ्य प्रस्तुत कर उप जिलाधीश श्रीगंगानगर से दिनांक 04.07.1981 को अलाट करवा गया है। अप्रार्थी ग्राम मदेरा में आवाद नहीं है। कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए है। अप्रार्थी राजस्थान का सन् 1955 से पूर्व का निवासी नहीं है। अप्रार्थी पूर्व में पंजाव में रहता था वाद में सीकर में रहा व नौकरी करता है, इस तरह से उसने गलत वयानी करके व असल तथ्यों को छुपाकर रकवा अलाट करवाया है। लिहाजा अप्रार्थी का अलामेन्ट रकवा चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 10 व किला नम्बर 18 ता 24 का कुल 7 बीघा 13 विस्वा रकवा का आवंटन निरस्त फरमाया जावें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थी कालुराम वल्द रूप सिंह जाति राजपूत साकिन मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को उप जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा सेल आर्डर कमांक 1525 दिनांक 04.07.1987 से चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 38 का किला नम्बर 17 की 0.13 व किला नम्बर 18 ता 24 सालम कुल 7.13 बिस्वा भूमि नहरी अलाट की गई है। शिकायतकर्ता का यह कथन कि अप्रार्थी कालुराम वल्द रूप सिंह पूर्व में पंजाब का निवासी था बाद में सीकर चला गया व राजस्थान का सन् 1955 से पूर्व का निवासी नहीं है एवं सरकारी नौकरी करता है जो सत्य नही है क्योंकि तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 2582 दिनांक 26.12.1992 से स्पष्ट रूप से अवगत करवाया है। कि अप्रार्थी कालूराम पुत्र रूप सिंह का पेशा खेती है वह एक अनपढ व्यक्ति है एवं करीब 35 वर्षो से गांव मदेरा में निवास करता है। प्रार्थी/शिकायतकर्ता का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। उपजिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा चक 7 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 38 का किला नमबर 17 की 0.13 व किला नम्बर 18 ता 24 सालम कुल 7.13 बिस्वा भूमि नहरी जो आवंटन की गई उसके अलावा उसके पास कोई भूमि नहीं है। आवंटन शुदा भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। इसलिए प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत निराधार होने के कारण खारिज होने योग्य है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता का शिकायती प्रार्थना पत्र राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14 सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

Scanned with OKEN Scanner